अल्पकालीन नीलामी सूचना

प्रबन्ध निदेशक कु0म0वि0नि0 नैनीताल की ओर से निम्नानुसार भवाली में डिजिटल फैक्ट्री के 03 पुराने निस्प्रयोज्य भवनों की नीलामी हेतु जैसा है जहाँ है के आधार पर सीलबन्द लिफाफे में कोटेशन/दरें आमन्त्रित की जाती हैं, कोटेशन/दरें दिनाँक 20.03.21 को अपराह्न 02:00 बजे तक निगम मुख्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं, प्राप्त कोटेशनों को उसी दिन अपराह्न 03:00 बजे नामित समिति द्वारा उपस्थित कोटेशन दाताओं की उपस्थिति में खोला जायेगा।

क्रमांक	विवरण	धरोहर धनराशि
01	**"उजाला परिसर"** भवाली में यू0पी0 डिजिटल फैक्ट्री के तीन निस्प्रयोज्य भवनों के धवस्तीकरण एवम् मलवा/सामग्री निस्तारण का कार्य की नीलामी।	रू0 10000.00 मात्र

नियम व शर्तें :–

1. जैसा है जहाँ है के आधार पर **"उजाला परिसर"** भवाली में यू0पी0 डिजिटल फैक्ट्री के तीन निस्प्रयोज्य भवनों को कभी भी देखा जा सकता है।
2. उच्चतम सफल दरदाता को कोटेशन दर की 50 प्रतिशत धनराशि नगद/बैक ड्रफ्ट जो कि महाप्रबन्धक कु0म0वि0नि0 नैनीताल के नाम देय हो, के रूप में तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 07 दिनों के अन्दर डिमान्ड ड्राफ्ट जमा करने के पश्चात ही भवन को तोड़ ध्वस्त की अनुमति दी जायेगी।
3. यदि उच्चतम सफल दरदाता समय–सीमा के अन्तर्गत शेष धनराशि जमा करने में असफल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सफल दरदाता के नाम भवन को प्रथम उच्चतम दरदाता की दरों पर छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम सफल दरदाता की धरोहर धनराशि के रूप में जमा जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0 अथवा अन्य कोई कर अतिरिक्त देय होगा तो वह सफल नीलामीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा कार्यालय को भुगतान कर उसकी रसीद/चालान की प्रति कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही भवन ध्वस्तीकरण की अनुमति विभाग द्वारा दी जायेगी।
5. भवन को तोड़ने के पश्चात मलवा हटाने (ढुलान) में आने वाले व्यय को सफल दरदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
6. अधिकतम धनराशि अंकित करने वाला दरदाता सफल माना जायेगा तथा उसे क्रम संख्या 02 के क्रम में शेष 50 प्रतिशत धनराशि 07 दिन के अन्दर नियमानुसार जी0एस0टी0 एवम् अन्य कर जोड़ते हुए धनराशि Draft/RTGS/NEFT के माध्यम से महाप्रबन्धक कु0म0वि0नि0 के नाम जमा करना होगी।
7. सफल दरदाता को कार्यस्थल पर सामग्री को उठाने के दौरान सुरक्षा सम्बन्धी सभी मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।
8. उपरोक्त शर्तो के विषय में निविदा के दौरान अथवा किसी भी समय विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक कु0म0वि0नि0 का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।
9. नीलामी आवंटन उपरान्त 15 दिन के अन्दर भवन ध्वस्तीकरण कर सामग्री को हटाना होगा एवम् भूमि को समतल करके देना होगा।
10. नीलामी मात्र पूर्व निर्मित भवन की की जायेगी, भूमि एवं मिट्टी की नहीं।
11. नीलामी की दरें सीलबन्द लिफाफे में 20.03.2021 को अपराह्न 2:00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय सूखाताल नैनीताल में उपलब्ध करा दें। निर्धारित तिथि/समय के पश्चात कोटेशन स्वीकार नहीं की जायेंगी।
12. नीलामी में इच्छुक बोलीदाता कार्यस्थल का निरीक्षण भली भांति कर लें तथा कार्य के दौरान आने वाली कठिनाईयों से भली–भांति अवगत हो लें। इस हेतु बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराषि निर्धारित प्रारूप में (एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक (नि0) कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।
15. अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
16. निविदा की तिथि को अवकाष होने की दषा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।
17. बोलीदाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवष्यक है। जिसकी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

महाप्रबन्धक